न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 124 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00157

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. सरपंच ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 31/01/2019

प्रार्थी तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पादरली सिंघलान तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 168 रकबा 0.17 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार अप्रार्थी के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म नाडा थी, जिसका तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक / 3517 दिनांक 17.11.1976 के जरिये आबादी दर्ज करने के आदेश पारित किए। चूंकि उक्त भूमि की किस्म नाडा थी, जिसको आबादी में दर्ज किया जाना अथवा आबादी हेतु आवंटित किया जाना विधि सम्मत नहीं था। इसके अतिरिक्त नाडा की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत भी आवंटन / नियमन से प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार है। अतः तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक / 3517 दिनांक 17.11.1976 एवं उसकी पालना में दायर ग्राम पादरली सिंघलान के नामान्तरकरण संख्या 85 पर तहसीलदार रानी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 30.11.1976 को अपास्त कराने एवं खसरा नम्बर 168 की किस्म गै0मु0 आबादी से पुनः नाडा दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स कराने का श्रम करावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पादरली सिंघलान तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 168 रकबा 0.17 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार अप्रार्थी के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म नाडा थी, जिसका तहसीलदार देसूरी के

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

आदेश क्रमांक/3517 दिनांक 17.11.1976 के जरिये आबादी दर्ज करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रानी द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 85 के उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में नाडा से आबादी दर्ज की गई। वर्तमान मौका स्थिति अनुसार भी मौके पर वर्तमान में भूमि खाली पड़ी है, जहां गांव के पशु खड़े रहते है तथा मामाजी (देवता) का स्थान भी बना हुआ है, मौके पर कोई नाडी नहीं है। हालांकि उक्त पृथक तथ्य है, क्योंकि वक्त आवंटन भूमि कि किस्म नाडा थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर नाडा दर्ज की जानी हैं। अतः तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक/3517 दिनांक 17.11.1976 विधि विरूद्ध होने के कारण उक्त आंवटन एवं आवंटन की पालना में ग्राम पादरली सिंघलान के नामान्तरकरण संख्या 85 पर तहसीलदार रानी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 30.11.1976 निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक/3517 दिनांक 17.11.1976 विधि विरूद्ध होने के कारण उक्त आंवटन एवं आवंटन की पालना में ग्राम पादरली सिंघलान के नामान्तरकरण संख्या 85 पर तहसीलदार रानी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 30.11.1976 को अपास्त करते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 168 की किस्म पुनः नाडा दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली